न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

अधिकारी :– श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

ंख्या:– 174 / 2021
एस.नं.– 2021 / 481

दर्ज दिनांक:– 16.07.2021
निर्णय दिनांक:–04.05.2022

उर्फ रामाकामा

बनाम

जगमोहन केजरिवाल आदि

प्रार्थना पत्र अ. आदेश 9 नियम 13 व धारा 151 सीपीसी

निर्णय

दिनांक:–04.05.2022

ी रमाकान्त उर्फ रामाकाम पुत्र गुलाब जाति महाजन निवासी भोडकी तहसील उदयपुरवाटी जिला प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का जरिये अधिवक्ता इस आशय का पेश किया है कि उनवानी जगमोहन आदि बनाम महेश कुमार आदि वाद पत्र विभाजन धारा 53 राज0 काश्तकारी मुकदमा न0 245/2020 ग्राम भोडकी की भूमि खसरा न0 2905, 2906, 2907, 2911 कुल किता क़बा 6.97 है0 के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण द्वरा दिनांक 29.10.2020 को जरिये मुख्यतार मक्खनलाल ा प्रसाद पेश किया गया जिसकमें माननीय न्यायालय ने वादपत्र को दर्ज कर प्रतिवादीगण की री करके पत्रावली में दिनांक 16.12.2020 की तारीख नियम कि जिस पर पीठासीन अधिकारी दौरे के कारण पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 22.03.2021 को भी पीठासीन अधिकारी दौरे पर होने ावली आगामी पेशी दिनांक 26.03.2021 नियत की तदपरान्त दिनांक 26.03.2021 को प्रतिवादीगण 16 की तामिल मानकर उसके विपरीत एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा दिनांक 26. को ही अंतिम बहस सुनकर पत्रावली वास्तें आदेश हेतु दिनांक 30.03.2021 नियत की बिना किसी ाक्ष्य तथा बिना दस्तावेज को प्रदर्शित किये बहस सुनकर माननीय न्यायालय द्वारा 30.03.2021 त्र स्वीकार करके प्राथमिक डिक्री की पालना में बाला बाला रूप से तहसीलदार उदयपुरवाटी से थति के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तलब करके प्रार्थी को सुनवाई का अवसर तथा नोटिस दिये देनांक 08.07.2021 को अंतिक डिक्री जारी कर दी गई तथा प्रतिवादिया संख्या 3 लक्ष्मी देवी पत्नी ्वं शांति देवी वादपत्र पेश करने से करीब 20 से 25 वर्ष पूर्व ही फौत हो चुकी थी। जिसके को रिकार्ड पर लिये बिना ही एक मृत व्यक्ति के खिलाफ डिक्री जारी कर दी गई जो विरूद्व । प्रार्थी ने दिनांक 15.07.2021 को सम्पूर्ण पत्रावली की नकल लेने पर पला चला की प्रकरण में ा सम्पूर्ण कार्यवाही दिनांक 30.03.2021 को प्राथमिक डिक्री तथा दिनांक 15.07.2021 को अंतिम री कर दी गई है।प्रार्थी को ना तो कोई नोटिस मिला ना ही विधिक तामिल हुई कयोकि प्रार्थी के ो रजस्टर्ड पत्र जारी हुआ उस समय प्रार्थी ग्राम भोडकी मे नही था अपने काम से सिल सिले में ाहर गया हुआ था और जो रजिस्टर्ड पत्र प्रार्थी को जारी किया गया है वह ग्राम भोउकी क`पते किया गया है वह ग्राम भोडकी के पते पर जारी किया गया था। इसलिये उस पर कोई विधिक ही हुई है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी के खिलाफ की गई एक तरफा आदेश दिनांक 26.03. प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.03.2021 व अंतिक डिकी दिनांक 08.07.2021 को निरस्त किया जाकर ा गुणवगुण पर निस्तारण करने हेतु उनवानी प्रकरण जगमोहन आदि बनाम महेश आदि प्रकरण 5/2020 को पुन नम्बर पर लिये जाने का आदेश फरमाया जावे । प्रार्थना पत्र दर्ज किया किया प्रार्थीगण की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

प्रार्थीगण [illegible]त 4 ने जरिये वकिल जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना द संख्या 1 दावा उनवान जगमोहन आदि बनाम महेश कुमार आदि पेश करना स्वीकार है शेष वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 की उपधारा 1, 2 ,3 व 4अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

Scanned with OKEN Scanner

1 की उपधारा 5 गलत व झुठ पर आधारीत है जबकि प्रतिवादिया संख्या 3 व प्रतिवादिया संख्या
ेक वारिसान पहले से पत्रावली ऑन रिकार्ड मौजुद है प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 की उपधारा
9 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 अस्वीकार है । प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3, 4
।

। प्रार्थना पत्र श्रवण की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को
तथा निवेदन किया कि प्रार्थी के खिलाफ की गई एक तरफा आदेश दिनांक 26.03.2021 व
डेक्री दिनांक 30.03.2021 व अंतिम डिक्री दिनांक 08.07.2021 को निरस्त किया जाकर प्रकरण का
पर निस्तारण करने हेतु उनवानी प्रकरण जगमोहन आदि बनाम महेश आदि प्रकरण संख्या
0 को पुन नम्बर पर लिये जाने का आदेश फरमाया जावे। अप्रार्थीगण के वकिल ने बहस में
ना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया तथा निवेदन किया कि माननीय न्यायालय से सभी कानूनी
पना कर सही रूप से दिनांक 30.03.2021 को अप्रार्थीगण का वाद पत्र स्वीकार करके प्राथमिक
श्चात अंतिम डिक्री पारित करके कोई कानूनी भूल नही की है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज
ावे।
वली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। उनवानी जगमोहन
म महेश कुमार आदि वाद मु0 नं0 245/2020 में उपलब्ध सम्मनों का भी अवलोकन किया गया।
नन्दा द्वारा सम्मनों पर कहीं भी दिनांक अंकित नहीं की है जिसे यह साबित नहीं होता है कि
ख को समन तामिल करवाये है। वाद पत्र प्रतिवादी संख्या 3 का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है
नुसार प्रतिवादी न0 3 की मृत्यु 10.08.1995 मे हो चुकी । प्रतिवादी संख्या 3 के वारिसान को
र भी नही लेकर एक पक्षीय कार्यावाही की गई जो न्याय संगत नही है। उक्त विवेचन से उक्त
ादपत्र में प्रार्थी का न्यायहित में पुनः सुना जाकर निर्णय व डिक्री पुनः पारीत किया जाना उचित
ा है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का स्वीकार किया जाना उचीत व
प्रतीत होता है।

आदेश

का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 व धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किया जाता है तथा दावा
जगमोहन आदि बनाम महेश कुमार आदि मु0 नं0 245/2020 में दिनांक 26.03.2021 को पारित
क पक्षिय प्रतिवादी नं. 1 लगायत 16 एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.03.2021 व अंतिम डिक्री व
नांक 08.07.2021 को अपास्त किया जाता है तथा उक्त वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाकर
ण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड एडी से करवाने का आदेश दिया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण निर्णय
कर नम्बर से कम हो तथा मूल वाद के संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 04.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Scanned with OKEN Scanner